राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज0, जयपुर

कमांक 134 (2) / नि.अ.मा.वि / अल्प.विका.कोष / निर्माण / 2021–22 / 15859 दिनांक: 04/11/2022

आधारभूत संरचना विकास कार्यों हेतु दिशा–निर्देश

क.स	योजना का नाम / विवरण	विवरण
	प्रस्तावनाः– राज्य की कुल आबादी में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, इसाई, सिख, जैन बौद्ध एवं पारसी के समग्र विकास हेतु आधारभूत संरचना का विकास कर अन्य समुदायों के समकक्ष लाना।	
1.	अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य।	राज्य सरकार द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जायेगी।
2.	**योजनाओं का आधार**	1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021–22 मे अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ समावेशी विकास कोष का प्रावधान।
3	**उदेश्यः–**	1. राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाना। 2. अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास करना। 3. आधारभूत संरचना का विकास कर अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाना।
4	**योजना क्षेत्र एवं पात्रताः–**	1. सम्पूर्ण राजस्थान राज्य 2. गांव / कस्बा / पंचायत मुख्यालय / नगर निकाय क्षेत्र में स्थित ऐसे क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी निवास करती हो। 3. संबंधित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की आवश्यकता / मांग हो तथा क्षेत्रीय विकास में कमी के आधार पर गैप की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है। 4. संबंधित क्षेत्र में आधारभूत संरचना के संबंध में स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि अथवा जिला प्रशासन द्वारा आधारभूत संरचना के संदर्भ मे कोई मांग की गई हो।
5	**योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूचीः–**	1. पेय जल हेतु टंकी (**GLR**) का निर्माण कार्य (अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक) 2. अल्पसंख्यक बस्तियों में सड़क निर्माण एवं नाली

		निर्माण लागत अनुमान अधिकतम 50.00 लाख रूपये तक। 3. सार्वजनिक हित में अल्पसंख्यक आबादी क्षेत्र में सामुदायिक भवन/कौशल विकास केन्द्र/कॉमन सर्विस सेन्टर का भवन निर्माण। 4. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण अधिकतम लागत 15.00 लाख तक। 5. सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य। 6. अल्पसंख्यक क्षेत्रों मे स्थित राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/पंजीकृत मदरसों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/पुस्तकालय/विज्ञान लैब / शौचालय/ पेयजल सुविधा/किचन शेड इत्यादि व अन्य आवश्यकता अनुरूप निर्माण कार्य। 7. दस्तकार वर्किंग शेड मय बिक्री काउन्टर (कशीदाकारी, हस्तशिल्प कार्य, व अन्य कार्य हेतु)। 8. सार्वजनिक उपयोग के भवन के विकास संबंधी कार्ययथा– चारदीवारी एवं अन्य मरम्मत संबंधी कार्य। 9. स्वयं सहायता समूह के कार्य स्थल के रूप में भवन निर्माण का कार्य। 10. पूर्व के कार्यो/भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत। 11. अन्य कार्य, सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त।
	योजनान्तर्गत गैर–अनुमत कार्यों की सूचीः–	1. अनुदान एवं ऋण 2. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि का मुआवजा। 3. व्यक्तिगत लाभ एवं वाणिज्यिक संगठन की परि–सम्पत्ति। 4. धर्म स्थल।
6	**योजनान्तर्गत कार्यो की स्वीकृति एवं आवेदन प्रकियाः–**	1. सर्वप्रथम जिला स्तर पर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जायेगें। 2. जिले में अल्पसंख्यक आबादी के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्ताव आवश्यकता/मांग के अनुरूप तैयार करवाये जायेगे अथवा संबंधित ग्राम/पंचायत/नगर निकाय आदि के मुखिया/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकेगा। 3. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय स्तर पर समेकित कर जारी दिशा–निर्देशों अनुरूप वरीयता निर्धारण कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

		4. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन विभागीय प्रभारी मंत्री एवं विभागीय प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा किया जायेगा। 5. उक्त अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। 6. निर्माण कार्य का भुगतान तीन किश्तों में किया जायेगा। 7. प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) का भुगतान कार्य प्रारंभ होने पर तथा द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) का भुगतान प्रथम किश्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जायेगा। 8. कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र तथा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त तृतीय किश्त की 10 प्रतिशत राशि (समायोजित योग्य मुल्यांकित राशि)नियमानुसार जारी की जायेगी। 9. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया जायेगा। 10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जाने वाला कार्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निगरानी में किया जायेगा।
7	**कार्यकारी एजेन्सी–**	1. योजनान्तर्गत विभागीय कार्यक्रमों की वरीयता के अनुरूप एवं नियमानुसार चयन विभाग के द्वारा किया जायेगा। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय नगरीय निकाय पंचायती राज्य संस्थाऐं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 आईटम नं 51 के अनुसार या केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार का कोई विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगे हुए हैं।'' कार्यकारी एजेन्सी हो सकेंगी।
8	**निर्माण संबंधी दिशा – निर्देश :–**	1. निर्माण कार्यों की संख्या का निर्धारण विभागीय प्रतिबद्धता एवं वरीयता के अनुरूप किया जाऐगा। 2. गुणवत्ता नियंत्रण–भवन निर्माण के दौरान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमित तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच की जावेगी।

		3. जॉच रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय एवं निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात को प्रस्तुत करनी होगी। 4. जॉच रिपोर्ट में विपरीत/नकारात्मक टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार भुगतान रोका जा सकेगा। 5. कार्य के निर्माण के दौरान या कार्य पूर्ण होने पर तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) से निरीक्षण करवाया जा सकेगा। 6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण के उपरान्त नियमानुसार कार्यकारी एजेन्सी से भवन का कब्जा प्राप्त किया जायेगा। 7. निर्माण कार्य के संदर्भ में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना की जायेगी। 8. विभागीय निर्देशानुसार एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निर्माण संबंधित निर्देश जारी किये जाने पर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3.XI.2022

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

कमांक 134 (2)/नि.अ.मा.वि/अल्प.विका.कोष/निर्माण/2021–22/ 15860-74 दिनांकः 04.11.2022

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
6. उप निदेशक–प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.....।
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालाय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

3.XI.2022

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रारूप

- अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य के सन्दर्भ में प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव प्रारूप

1. प्रस्तावित कार्य का नाम :–
2. प्रस्तावित कार्य का स्थान मय पूरा पता :–
3. प्रस्तावित कार्य का ग्राम पंचायत/शहर/पंचायत समिति/जिला/विधानसभा क्षेत्र :–
4. प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि का विवरण–चिन्हित है/आवंटित है/उपलब्ध नही है :–
5. प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित/चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल/खसरा नम्बर/ग्राम व अन्य विवरण :–
6. प्रस्तावित कार्य स्थल का जनसंख्या विवरण :–

कार्य स्थल का नाम	कुल आबादी	अल्पसंख्यक जनसंख्या			
		पुरूष	महिला	योग	प्रतिशत

7. प्रस्तावित कार्य यदि शिक्षा/आंगनबाडी/स्वयं सहायता समूह से संबंधित है तो संबंधित क्षेत्र/संस्था में कुल नामांकन/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों/लाभार्थियों का नामांकन एवं प्रतिशत

कार्य स्थल का नाम	कुल नामांकन	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का नामांकन			
		पुरूष	महिला	योग	प्रतिशत

8. प्रस्तावित कार्य का अनुमानित लागत तकमीना मय नक्शा अर्थात पूर्ण डीपीआर संलग्न करे :–
9. कार्य की अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के संबंध में उपयोगिता पर टिप्पणी :–
10. प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है :–
11. प्रस्ताव की जॉच/टिप्पणी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा अपेक्षित है।
12. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु जो प्रस्ताव की स्वीकृति के संदर्भ में आवश्यक है का उल्लेख किया जाए यदि आवश्यक हो तो :–

आवेदक

(सस्था/समूह/व्यक्ति का नाम एवं पूर्ण पता)